राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-5668/2006
अशोक उर्फ गीगा बनाम राजस्थान राज्य

दिनांक:05.10.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल

श्री महेन्द्र गोयल, अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थी की ओर से
श्री एम एल गोयल, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य

--

अभियुक्त- प्रार्थी अशोक उर्फ गीगा द्वारा यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र प्रथम सूचना संख्या-198/06 पुलिस थाना-उदयपुरवाटी, झूंझनूं अपराध अन्तर्गत धारा 448,323 व 307 भा.दं.सं.के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है।

इस पर अभियुक्त- प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी तथा दौरान बहस प्रस्तुत दस्तावेज / केस डायरी का अवलोकन किया गया।

अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थी की ओर से तर्क दिया गया है कि इस मामले में भूमि के विवाद को लेकर यह झूंठी रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है। उनका यह भी तर्क रहा है कि खेत खसरा नं. 2686 जो कि उदयपुरवाटी में स्थित है, को परिवादी कैलाश के भाई मुरारी लाल ने अभियुक्त-प्रार्थी के पिता हरी नारायण को सन् 2000 में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से बेचा, सन् 2002 में जिसके कुछ भाग का सक्षम अधिकारी द्वारा रूपान्तरण कराया गया। उक्त मामले में परिवादी की बहिन तारा देवी द्वारा राजस्व न्यायालय में अस्थाई निषेधा का वाद भी प्रस्तुत किया गया,जिसे खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील भी खारिज कर दी गयी तथा 90-बी लेण्ड रेवेन्यू एक्ट में पारित आदेश के विरूद्ध की गयी अपील भी खारिज हो गयी तथा उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ने पुलिस थाना- उदयपुर वाटी को लिखित में निर्देश दिया था कि उक्त भूमि जो कि अभियुक्त प्रार्थी के पिता हरी नारायण के कब्जे की है पर यदि कोई अवरोध पैदा करें तो उसके सम्बन्ध में निवारक कार्यवाही की जाए। इसके अतिरिक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट तहसील उदयपुर वाटी द्वारा परिवाद पर परिवादी पक्ष को अन्तर्गत धारा 107 116(3) जाप्ता फौजदारी में पाबन्द कर रखा था। उनका यह भी तर्क रहा है कि दिनांक 24.7.2006 व 25.7.06 की रात्रि को लगभग ढाई बजे अभियुक्त- प्रार्थी की गुवाडी में आकर परिवादी पक्ष के लोगों द्वारा

अभियुक्त- प्रार्थी के साथ मारपीट की गयी। जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के तुरन्त बाद रात्रि के लगभग साढ़े तीन बजे दर्ज करवादी गयी , जिससे बचने के लिए यह झूंठी रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है। उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आहत कैलाश के सिर पर अभियुक्त- प्रार्थी द्वारा चोट कारित करने का आरोप नहीं है। अपितु दांतली से सह अभियुक्त दिनेश द्वारा चोट कारित करना बताया गया है। जबकि दांतली से सिर पर कोई चोट आना नहीं पायी गयी है बल्कि कुन्द आले से चोट आना बतायी गयी है।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा तर्क दिया कि आहत कैलाश के सिर पर एक गम्भीर प्रकृति की चोट आयी है, जिसे प्राण घातक होना बताया गया है।

इस प्रक्रम पर इस मामले के गुणावगुण पर विशेष विवेचन किया जाना उपयुक्त नहीं है किन्तु अपराध की प्रकृति व अभियुक्त की इस अपराध में बतायी गयी लिप्तता व प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए एवं विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पक्षकारों क मध्य भूमि के सम्बन्ध में विवाद चल रहा है जिसमें परिवादी पक्ष को सक्षम अधिकारी द्वारा पाबन्द करने की भी कार्यवाही की गयी है तथा इस घटना के संदर्भ में क्रॉस एफ.आई.आर. दर्ज हुई है, जिसके अनुसार अभियुक्त- प्रार्थी का घायल होना बताया गया है व प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार भी अभियुक्त- प्रार्थी अशोक उर्फ गीगा द्वारा आहत कैलाश को केवल पकड़ना बताया गया है, मेरी राय में प्रार्थी को धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता का लाभ दिया जाकर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अत: अभियुक्त- प्रार्थी का अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी अशोक उर्फ गीगा पुत्र श्री हरिनारायण निवासी- उदयपुरवाटी जिला- झूंझनूं को पुलिस थाना- उदयपुरवाटी, झूंझनूं में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-198/2006 में गिरफ्तार किया जावे तो उसे अन्वेषण अधिकारी/ गिरफ्तारी अधिकारी/ एस.एच.ओ. की सन्तुष्टि पर प्रार्थी द्वारा रूपये **10,000/-** (**दस** हजार रूपये मात्र) का स्वयं का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व रूपये **5,000/- -- 5,000/- (पांच-पांच हजार रूपये मात्र)** की दो प्रतिभूति पत्र प्रस्तुत करने पर उसे निम्न शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जावे:

1. यह कि प्रार्थी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों के उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।
2. यह कि प्रार्थी इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।
3. यह कि प्रार्थी न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेंगा।
4. यह कि प्रार्थी भविष्य में इस तरह की प्रकृति के अपराध में लिप्त नहीं होगा।

(न्या0 जितेन्द्र राय गोयल)